न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2016

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
हजीया पुत्र नरसा, जाति ढोली, निवासी पावा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली।		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15-11-18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 53/2015 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का पावा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.0120 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। अपीलाण्ट के नाम से नोटिस जारी किया, उक्त नोटिस न ही अपीलाण्ट का प्राप्त हुआ, एवं न प्रोपर तामिल हुई, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना, किन्तु अपीलांट को किस प्रकरण में बेदखल किया गया यह रेकर्ड में दर्ज शुदा नहीं है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंन्ट से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर नियमन का हकदार है, एवं पटटा प्राप्ती का भी हकदार है। अपीलांट को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताकर जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं करते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि कर ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.0120 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट्स के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1762 रकबा 0.0120 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का पावा द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 28.09. 2015 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट के परिवार के व्यस्क सदस्य(माता) से तामिल होने के कारण सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का पावा के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसमें गवाह ने उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कथन किये। उक्त साक्ष्य का अपीलाण्ट द्वारा किसी भी रूप में पुनःपरीक्षण नही किया है। इस हेतु स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का न तो समय चाहा गया तथा न ही कोई सीमांकन आदि की कार्यवाही की। अपीलांट द्वारा अपील मीमो के चरण संख्या 07 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी पर बाडा बना होना स्वीकार किया है, जिससे प्रकरण के सम्बन्ध में अपीलांट की स्वीक्रोक्ति प्रदर्शित होती है। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिबन्धित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 53/2015 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली